



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति : छठवाँ चरण

दिनांक- 18.10.2026

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

- महिला पंचायत एवं बहू-बेटी सम्मेलन: थाना काकोरी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा एवं महिला पंचायत तथा विभिन्न थाना क्षेत्रों में बहू-बेटी सम्मेलन और मिशन शक्ति चौपाल आयोजित कर महिलाओं से संवाद किया गया।
- महिला एवं बालिका सुरक्षा: महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मसम्मान, सुरक्षा उपायों, गुड टच-बैड टच तथा पुलिस सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।
- सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता: बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना एवं शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता: साइबर अपराधों एवं वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
- जनभागीदारी एवं कल्याणकारी सहायता: जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं, बालिकाओं, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। थाना आलमबाग पुलिस द्वारा दो महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने में सहायता भी की गई।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.10.2026 को कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करते हुए शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई।

जोन-पूर्वी

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत दिनांक 18.10.2026 को थाना विकासनगर पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा सेक्टर-4 क्षेत्र में बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, महिला सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

इसी क्रम में पिंक बूथ-70, तकरोही, थाना इंदिरानगर पुलिस द्वारा ग्राम फतेहपुरवा स्थित शक्तिमाता कॉलोनी में बहू-बेटी कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक किया गया। साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090, 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, 1076 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित यूपी कॉप ऐप, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र एवं पिंक बूथ की सुविधाओं की जानकारी देकर साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

जोन-पश्चिमी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत थाना काकोरी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा एवं महिला पंचायत का आयोजन कर महिलाओं को सुरक्षा, अधिकारों एवं सशक्तीकरण के प्रति किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति फेज़-6.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 18.10.2026 को थाना काकोरी क्षेत्र के कस्बा काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में नुक्कड़ सभा एवं महिला पंचायत का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एवं सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी द्वारा प्रतिभाग कर उपस्थित महिलाओं को महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों, आत्मसम्मान एवं सशक्तीकरण के संबंध में जागरूक किया गया। अधिकारियों द्वारा महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने तथा ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया।

महिला पंचायत के दौरान महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, किसी भी विषम परिस्थिति में घबराने के बजाय पुलिस की सहायता लेने तथा अपने आसपास की महिलाओं एवं बालिकाओं को भी जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) एवं 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन) के संबंध में जानकारी दिए जाने के साथ ही मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क एवं अन्य महिला सुरक्षा संबंधी सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

जोन-उत्तरी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत उत्तरी जोन के विभिन्न थानों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति किया गया जागरूक।

थाना-वार प्रमुख कार्यक्रम-

- **थाना माल एवं रहीमाबाद:** बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अधिकारों, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक किया गया।
- **थाना इटौंजा एवं अलीगंज:** रेलवे स्टेशन क्षेत्र एवं पूर्णिया क्रॉसिंग स्थित झोपड़पट्टी में बाल विवाह निषेध, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई।
- **थाना महिगवां:** ग्राम बीबीपुर के पंचायत भवन एवं उनई माता मंदिर में संवाद सामाजिक संस्था के सहयोग से बाल विवाह निषेध एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।
- **महिला थाना द्वितीय एवं थाना बीकेटी:** ग्राम मामपुर बाना में महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक कर हेल्पलाइन नंबरों एवं महिला सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी दी गई।
- **थाना मलिहाबाद:** शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन एवं भोज का आयोजन किया गया। साथ ही महिला सुरक्षा एवं मिशन शक्ति से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन 1090, 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी एवं यूपी कॉप ऐप के संबंध में जानकारी दी गई।

जोन-दक्षिणी

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जोन दक्षिणी के पांच थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, श्री मो. मुश्ताक के नेतृत्व में शारदीय नवरात्रि के अष्टम दिवस पर मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत जोन दक्षिणी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. थाना सुशान्त गोल्फ सिटी: श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी, श्री मो. मुश्ताक एवं अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्रांतर्गत अलखनंदा चौकी में मिशन शक्ति अभियान के तहत चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा एवं साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

2. थाना बंधरा: बंधरा बाजार में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया तथा पंपलेट वितरित किए गए।

3. थाना नगराम: ग्राम इच्छाखेड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को बाल विवाह की कुप्रथा, साइबर अपराधों से बचाव तथा महिला सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई।

4. थाना गोसाईगंज: ग्राम कटरा अमेठी में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया तथा पंपलेट वितरित किए गए।

5. थाना सरोजनीनगर: ग्राम अमौसी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई तथा पंपलेट वितरित किए गए।

सभी कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 1098, 181, 1930 एवं 1076 सहित अन्य महत्वपूर्ण नंबरों, महिला हेल्प डेस्क, पिंग बूथ, पिंग स्कूटी तथा यूपी कॉप एप के संबंध में जानकारी देकर किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

जोन-मध्य

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 18.10.2026 को पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री विक्रान्त वीर के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन के थाना मदेयगंज, गौतमपल्ली, आलमबाग एवं हसनगंज पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, महिला सुरक्षा, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, पिंग बूथ, एंटी रोमियो टीम, यूपी कॉप एप तथा साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए सरकारी योजनाओं एवं साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत प्रक्रिया के बारे में बताया गया। थाना आलमबाग पुलिस द्वारा दो महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने में सहायता भी की गई। पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है।

उद्देश्य: मिशन शक्ति फेज-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना तथा बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1897

दिनांक- 18.10.2026

जोन- मध्य / थाना- मानकनगर

- थाना मानकनगर पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले अपराधी को किया गया गिरफ्तार।

01. संक्षिप्त विवरण—

मा० न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा वाद संख्या 138(61)/2025, अंतर्गत धारा 3 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में दिनांक 10.06.2026 को अभियुक्त निर्भय कुमार उर्फ विक्की पुत्र स्व० बृजनन्दन प्रसाद, निवासी मकान संख्या B-28/5, RDSO कॉलोनी, थाना मानकनगर, लखनऊ को गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह के लिए जनपद लखनऊ की सीमा से निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया था।

दिनांक 18.10.2026 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त निर्भय कुमार उर्फ विक्की को उसके घर B-28/5, RDSO कॉलोनी, मानकनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-57/2026, धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

02. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-निर्भय कुमार उर्फ विक्की पुत्र स्व० बृजनन्दन प्रसाद, निवासी मकान संख्या B-28/5, RDSO कॉलोनी, थाना मानकनगर, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।

03. आपराधिक इतिहास—

1. मु०अ०सं०-57/2026, धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970, थाना मानकनगर, लखनऊ।
2. मु०अ०सं०-34/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2), 324(2), 117(2), 109(1) बीएनएस, थाना मानकनगर, लखनऊ।
3. मु०अ०सं०-114/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस, थाना पारा, लखनऊ।
4. मु०अ०सं०-062/2024, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस, थाना मानकनगर, लखनऊ।
5. मु०अ०सं०-47/2026, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 324(2) बीएनएस, थाना मानकनगर, लखनऊ।
6. मु०अ०सं०-053/2021, धारा 147, 323, 504, 506 भा०द०वि०, थाना मानकनगर, लखनऊ।

04. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ०नि० श्री राहुल पाल, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का० रामायण भारतीय, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म०का० जया वर्मा, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1898

दिनांक-18.10.2026

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

- मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास ई-रिक्शा चालक पर जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पेपर कटर ब्लेड बरामद।

01-कार्यवाही का विवरण:

दिनांक 13.10.2026 की रात्रि में मेडिकल कॉलेज चौराहे के पास पिक बूथ के पीछे रोहित मिश्रा अपने दोस्त वैभव शुक्ला के साथ ई-रिक्शा लेकर खड़े थे। इसी दौरान नशे की शीशी मांगने को लेकर हुए विवाद में अभियुक्त दीपक द्वारा रोहित मिश्रा के सीने पर पेपर कटर ब्लेड से हमला कर दिया गया। उक्त प्रकरण में पीड़ित रोहित मिश्रा के भाई वादी मुकदमा श्लोक मिश्रा पुत्र कृष्ण गोपाल मिश्रा निवासी 149/276, हरीनगर दुगांवा, थाना नाका, लखनऊ की लिखित तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 263/2026, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 18.10.2026 को वादी मुकदमा एवं उनके दोस्त द्वारा अभियुक्त दीपक को पकड़कर थाना वजीरगंज लाया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण एवं आधार से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक पेपर कटर ब्लेड, दो लाइटर, एविल इंजेक्शन की तीन शीशियां बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-पूछताछ का विवरण:

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेडिकल कॉलेज चौराहे पर रोहित एवं वैभव द्वारा बार-बार नशे की शीशी मांगने तथा उसके मना करने पर विवाद हो गया था। इसी दौरान गुस्से में आकर उसने ब्लेड से हमला कर दिया।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

- दीपक पुत्र फूलचन्द्र, निवासी ई-ब्लॉक, राजाजीपुरम सब्जी मंडी, थाना तालकटोरा, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष।

04-बरामदगी का विवरण:

- एक पेपर कटर ब्लेड।

05-पंजीकृत अभियोग:

01-मु0अ0सं0 263/2026, धारा 109 भारतीय न्याय संहिता, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार प्रजापति, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री कपिल सिंह चौधरी, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 गुलशन पाण्डव, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. का0 प्रदीप कुमार, थाना वजीरगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1899

दिनांक-18.10.2026

जोन - दक्षिणी/ थाना-सरोजनीनगर

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा चैन स्नेचिंग करने वाले बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया ।
- कब्जे से एक अदद पीली धातु की चैन (कीमत लगभग एक लाख) व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद ।

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के कुशल पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक सरोजनीनगर श्री राजदेव प्रजापति के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा चैन स्नेचिंग करने वाले बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया ।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.10.2026 को वादी श्री अमित कुमार वर्मा पुत्र स्व0 शिवकिशोर वर्मा नि0 हैडिल जयराजपुरी कालोनी थाना सरोजनीनगर लखनऊ के द्वारा थाना सरोजनीनगर पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 12.10.2026 को वादी अपनी माता जी के साथ घर जा रहा था कि शनि देव मन्दिर के पास एक अज्ञात बाइक सवार द्वारा वादी की माँ से चैन स्नेचिंग कर भाग गया । प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर तत्काल मु0अ0सं0 389/26 धारा 304(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर पंजीकृत किया गया ।

घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निर्देशन में थाना सरोजनीनगर पर 02 पुलिस टीमों गठित की गयीं । उक्त टीमों द्वारा 70-80 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज एवं अन्य टैक्निकल और मैनुअल साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से एक बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष को पुलिस संरक्षण में लिया गया । कब्जे से पीली धातु की चैन व मोटरसाइकिल की बरामदगी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-नाबालिग का विवरण:-

01. एक बाल अपचारी उम्र करीब 17 वर्ष ।

04-आपराधिक इतिहास:-

01-मु0अ0सं0 402/25 धारा 305(a), 317(2), 331(4) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण:-

1-मु0अ0सं0 389/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सरोजनीनगर लखनऊ ।

06-बरामदगी विवरण:-

01. एक अदद चैन पीली धातु (कीमत लगभग 100000/- रुपये)

02. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल ।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति : छठवाँ चरण

दिनांक- 18.10.2026

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

- महिला पंचायत एवं बहू-बेटी सम्मेलन: थाना काकोरी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा एवं महिला पंचायत तथा विभिन्न थाना क्षेत्रों में बहू-बेटी सम्मेलन और मिशन शक्ति चौपाल आयोजित कर महिलाओं से संवाद किया गया।
- महिला एवं बालिका सुरक्षा: महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मसम्मान, सुरक्षा उपायों, गुड टच-बैड टच तथा पुलिस सहायता सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया।
- सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता: बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना एवं शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता: साइबर अपराधों एवं वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई।
- जनभागीदारी एवं कल्याणकारी सहायता: जागरूकता कार्यक्रमों में महिलाओं, बालिकाओं, ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। थाना आलमबाग पुलिस द्वारा दो महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने में सहायता भी की गई।

उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशों के क्रम में दिनांक 18.10.2026 को कमिश्नरेट लखनऊ के समस्त जोनों में मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, साइबर सुरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करते हुए शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई।

जोन-पूर्वी

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत दिनांक 18.10.2026 को थाना विकासनगर पुलिस की एंटी रोमियो टीम द्वारा सेक्टर-4 क्षेत्र में बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, महिला सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

इसी क्रम में पिंक बूथ-70, तकरोही, थाना इंदिरानगर पुलिस द्वारा ग्राम फतेहपुरवा स्थित शक्तिमाता कॉलोनी में बहू-बेटी कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक किया गया। साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090, 181, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, 1076 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित यूपी कॉप ऐप, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र एवं पिंक बूथ की सुविधाओं की जानकारी देकर साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

जोन-पश्चिमी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत थाना काकोरी क्षेत्र में नुक्कड़ सभा एवं महिला पंचायत का आयोजन कर महिलाओं को सुरक्षा, अधिकारों एवं सशक्तीकरण के प्रति किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति फेज़-6.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 18.10.2026 को थाना काकोरी क्षेत्र के कस्बा काकोरी स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में नुक्कड़ सभा एवं महिला पंचायत का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी एवं सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी द्वारा प्रतिभाग कर उपस्थित महिलाओं को महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों, आत्मसम्मान एवं सशक्तीकरण के संबंध में जागरूक किया गया। अधिकारियों द्वारा महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने तथा ऐसी घटनाओं की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया गया।

महिला पंचायत के दौरान महिलाओं से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, किसी भी विषम परिस्थिति में घबराने के बजाय पुलिस की सहायता लेने तथा अपने आसपास की महिलाओं एवं बालिकाओं को भी जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में महिला सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) एवं 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन) के संबंध में जानकारी दिए जाने के साथ ही मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क एवं अन्य महिला सुरक्षा संबंधी सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।

जोन-उत्तरी

मिशन शक्ति फेज़-6.0 के अंतर्गत उत्तरी जोन के विभिन्न थानों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति किया गया जागरूक।

थाना-वार प्रमुख कार्यक्रम-

- **थाना माल एवं रहीमाबाद:** बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अधिकारों, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक किया गया।
- **थाना इटौंजा एवं अलीगंज:** रेलवे स्टेशन क्षेत्र एवं पूर्णिया क्रॉसिंग स्थित झोपड़पट्टी में बाल विवाह निषेध, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई।
- **थाना महिगवां:** ग्राम बीबीपुर के पंचायत भवन एवं उनई माता मंदिर में संवाद सामाजिक संस्था के सहयोग से बाल विवाह निषेध एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।
- **महिला थाना द्वितीय एवं थाना बीकेटी:** ग्राम मामपुर बाना में महिलाओं एवं बालिकाओं को बाल विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक कर हेल्पलाइन नंबरों एवं महिला सुरक्षा सुविधाओं की जानकारी दी गई।
- **थाना मलिहाबाद:** शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन एवं भोज का आयोजन किया गया। साथ ही महिला सुरक्षा एवं मिशन शक्ति से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला हेल्पलाइन 1090, 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस आपातकालीन सेवा 112 एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित मिशन शक्ति केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी एवं यूपी कॉप ऐप के संबंध में जानकारी दी गई।

जोन-दक्षिणी

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जोन दक्षिणी के पांच थाना क्षेत्रों में महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण एवं सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी, श्री मो. मुश्ताक के नेतृत्व में शारदीय नवरात्रि के अष्टम दिवस पर मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत जोन दक्षिणी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. थाना सुशान्त गोल्फ सिटी: श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी, श्री मो. मुश्ताक एवं अपर पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्रांतर्गत अलखनंदा चौकी में मिशन शक्ति अभियान के तहत चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों को बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा एवं साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया तथा महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

2. थाना बंधरा: बंधरा बाजार में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया तथा पंपलेट वितरित किए गए।

3. थाना नगराम: ग्राम इच्छाखेड़ा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को बाल विवाह की कुप्रथा, साइबर अपराधों से बचाव तथा महिला सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी दी गई।

4. थाना गोसाईगंज: ग्राम कटरा अमेठी में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तीकरण, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया तथा पंपलेट वितरित किए गए।

5. थाना सरोजनीनगर: ग्राम अमौसी में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बालिकाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों को बाल विवाह, दहेज प्रथा, महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई तथा पंपलेट वितरित किए गए।

सभी कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 1098, 181, 1930 एवं 1076 सहित अन्य महत्वपूर्ण नंबरों, महिला हेल्प डेस्क, पिंग बूथ, पिंग स्कूटी तथा यूपी कॉप एप के संबंध में जानकारी देकर किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल पुलिस सहायता लेने हेतु प्रेरित किया गया।

जोन-मध्य

मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आज दिनांक 18.10.2026 को पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्री विक्रान्त वीर के नेतृत्व में मिशन शक्ति फेज-6.0 के अंतर्गत मध्य जोन के थाना मदेयगंज, गौतमपल्ली, आलमबाग एवं हसनगंज पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, महिला सुरक्षा, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र, पिंग बूथ, एंटी रोमियो टीम, यूपी कॉप एप तथा साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह एवं कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए सरकारी योजनाओं एवं साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत प्रक्रिया के बारे में बताया गया। थाना आलमबाग पुलिस द्वारा दो महिलाओं को विधवा पेंशन दिलाने में सहायता भी की गई। पुलिस कमिश्नर लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित, जागरूक एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है।

उद्देश्य: मिशन शक्ति फेज-6.0 के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक कर उन्हें सशक्त बनाना तथा बाल विवाह एवं अन्य सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1897

दिनांक- 18.10.2026

जोन- मध्य / थाना- मानकनगर

- थाना मानकनगर पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले अपराधी को किया गया गिरफ्तार।

01. संक्षिप्त विवरण—

मा० न्यायालय श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा वाद संख्या 138(61)/2025, अंतर्गत धारा 3 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 में दिनांक 10.06.2026 को अभियुक्त निर्भय कुमार उर्फ विक्की पुत्र स्व० बृजनन्दन प्रसाद, निवासी मकान संख्या B-28/5, RDSO कॉलोनी, थाना मानकनगर, लखनऊ को गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह के लिए जनपद लखनऊ की सीमा से निष्कासित किए जाने का आदेश पारित किया गया था।

दिनांक 18.10.2026 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त निर्भय कुमार उर्फ विक्की को उसके घर B-28/5, RDSO कॉलोनी, मानकनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं०-57/2026, धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

02. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01-निर्भय कुमार उर्फ विक्की पुत्र स्व० बृजनन्दन प्रसाद, निवासी मकान संख्या B-28/5, RDSO कॉलोनी, थाना मानकनगर, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष।

03. आपराधिक इतिहास—

1. मु०अ०सं०-57/2026, धारा 10 उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970, थाना मानकनगर, लखनऊ।
2. मु०अ०सं०-34/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 126(2), 324(2), 117(2), 109(1) बीएनएस, थाना मानकनगर, लखनऊ।
3. मु०अ०सं०-114/2025, धारा 115(2), 352, 351(3), 324(4) बीएनएस, थाना पारा, लखनऊ।
4. मु०अ०सं०-062/2024, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस, थाना मानकनगर, लखनऊ।
5. मु०अ०सं०-47/2026, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 324(2) बीएनएस, थाना मानकनगर, लखनऊ।
6. मु०अ०सं०-053/2021, धारा 147, 323, 504, 506 भा०द०वि०, थाना मानकनगर, लखनऊ।

04. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ०नि० श्री राहुल पाल, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का० रामायण भारतीय, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म०का० जया वर्मा, थाना मानकनगर, कमिश्नरेट लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0- 1901

दिनांक- 18.10.2026

जोन- उत्तरी / थाना-माल

- थाना माल पुलिस द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के परिजनों की जानकारी कर सकुशल उनके सुपुर्द किया गया।

01.संक्षिप्त विवरण:-

मिशन शक्ति फेज- 6.0 अभियान के तहत उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में श्रीमान पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरुण गाबा के निर्देशन में दिनांक 18.10.2026 को **मिशन शक्ति अभियान के छठवें चरण** के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा सशक्तीकरण के प्रति पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री अमित कुमार आनंद के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक माल श्री नबाव अहमद की पहल पर थाना माल में ग्राम प्रधान बदैया के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला गाँव में घूम रही है उपरोक्त सूचना पर माल पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुये ग्राम बदैया पहुँचकर महिला को थाना हाजा लेकर आये व मिशन शक्ति केन्द्र पर बैठाया गया।

महिला से जानकारी करने पर उक्त महिला द्वारा अपना निवासिनी थाना खैराबाद जनपद सीतापुर बताया और बताया की मैं मेला देखने गयी मेले से ही गुम हो गयी और अपने घर पर नहीं पहुँच पायी माल पुलिस द्वारा के उक्त महिला के बताये गये पते के बारे में जानकारी कर उक्त महिला के पिता से सम्पर्क कर सूचना दी गयी। महिला के परिजन थाने उपस्थित आये और उनके द्वारा पहचान की गयी यह हमारी पुत्री है जो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है।

माल पुलिस द्वारा समझबूझ का परिचय देते हुए व कड़ी मेहनत व परिश्रम से महिला उपरोक्त के परिजनों व पिता से सम्पर्क कर महिला उपरोक्त को सकुशल परिवारीजन के सुपुर्द किया गया। महिला को पाकर परिजन बहुत खुश हुए और थाना माल कमिश्नरेट पुलिस का धन्यवाद दिया।

02. पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री नजमे हसन थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
2. म0उ0नि0 सपना देवी थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
3. म0हे0का0 अनुराधा सिंह थाना माल कमिश्नरे लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1900

दिनांक-18.10.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर स्कूटी चोरी की घटना का सफल अनावरण, चोरी की स्कूटी के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-कार्यवाही का विवरण:

दिनांक 17.10.2026 को वादी श्री रेहान पुत्र श्री फुरकान, निवासी इंदिरा नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ द्वारा थाना गाजीपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी गई कि दिनांक 12.10.2026 की रात्रि लगभग 03:18 बजे उनके घर के बाहर खड़ी स्कूटी नं0 UP32-MS-7568 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 379/2026, धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश एवं चोरी गई स्कूटी की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 18.10.2026 को थाना गाजीपुर पुलिस टीम मुंशी पुलिया चौराहे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-14 स्थित पावर हाउस चौराहे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की काले रंग की स्कूटी के साथ मौजूद है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को स्कूटी सहित पकड़ लिया।

पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम शिवा अवस्थी पुत्र अश्वनी कुमार अवस्थी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी लिबर्टी कॉलोनी, सीआईएस स्कूल के निकट, सर्वोदय नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ तथा स्थायी निवासी ग्राम मडारी, थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर बताया। स्कूटी के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत न कर पाने पर की गई पूछताछ में अभियुक्त ने उक्त स्कूटी को दिनांक 12.10.2026 को इंदिरा नगर, सेक्टर-17 से चोरी करना स्वीकार किया।

अभियुक्त ने बताया कि पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसने स्कूटी की नंबर प्लेट निकालकर फेंक दी थी तथा उसके मूल सफेद रंग को बदलकर काला कर दिया था। पुलिस टीम द्वारा चोरी गई स्कूटी बरामद करते हुए अभियुक्त शिवा अवस्थी को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

01-शिवा अवस्थी पुत्र अश्वनी कुमार अवस्थी, उम्र करीब 20 वर्ष, वर्तमान निवासी लिबर्टी कॉलोनी, सीआईएस स्कूल के निकट, सर्वोदय नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ; स्थायी निवासी ग्राम मडारी, थाना मिश्रिख, जनपद सीतापुर।

03-पंजीकृत अभियोग:

01-मु0अ0सं0 379/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना गाजीपुर, लखनऊ।

04-बरामदगी:

- 01 अदद होंडा एक्टिवा स्कूटी, काले रंग की।
- रजिस्ट्रेशन नंबर: UP32-MS-7568।
- चेचिस नंबर: ME4JF918LMW083251।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

1. उ0नि0 सूरजकांत पाण्डेया।
2. उ0नि0 राकेश कुमार वर्मा।
3. उ0नि0 अशोक कुमार।
4. का0 सुमित तिवारी।
5. का0 मनीष सिंह।